भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 970
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना

970. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होनें के बाद से आधार कॉर्ड से जोड़े गए मतदाता पहचान पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मतदाताओं से सहमति लेकर स्वेच्छा से इसे जोड़ा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यदि कोई मतदाता सहमति नहीं देता है तो उसके आधार का ब्यौरा हटाया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को आधार और मतदाता पहचान पत्र को आपस में जोड़ने का कोई लक्ष्य दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जिन मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र को आधार से नहीं जोड़ा गया है, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और यदि हां, तो किस आधार पर नाम हटाए गए हैं और कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं ; और

(च) क्या सरकार ने मतदाता डाटाबेस का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों में संशोधन करता है, जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विद्यमान या भावी निर्वाचक को स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार प्रदान करने की आवश्यकता की अनुमति देता है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश तारीख 4 जुलाई, 2022 दवारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 1 अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर विद्यमान और भावी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम आरंभ किया है। आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और प्ररुप 6ख में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है। सहमति वापस लेने का कोई उपबंध नहीं है ।

(घ) : आधार को लिंक करना प्रक्रिया संचालित है और आधार को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के साथ जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन

आयोग ने बताया है कि आधार को ईपीआईसी से जोड़ना अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्ररुप 6ख जमा करने की समय अवधि एक वर्ष अर्थात् 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई है ।

(ङ.) : जी नहीं ।

(च) : भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, और आयोग ने सूचित किया है कि यह बहुस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला के साथ डेटा बनाए रखता है और निर्वाचन डेटा को स्थैतिक और पारगमन दोनों में एन्क्रिप्ट किया गया है। ।

****